न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री अनिल कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
153/2022	दावा 88, 91 RTA	11.07.2022	11.01.2024

किसन सिंह पुत्र सार्दुल सिंह जाति राजपूत निवासी श्यामपुरा तहसील व जिला चूरू (राज)
—वादी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू (राज.)
—प्रतिवादी—
2. श्रवण सिंह पुत्र श्री माधों सिंह जाति राजपूत निवासी श्यामपुरा तहसील व जिला चूरू (राज)
3. ओमप्रकाश सिंह पुत्र श्री सार्दुल सिंह जाति राजपूत निवासी श्यामपुरा तहसील व जिला चूरू (राज)
4. कालुसिंह पुत्र माधोसिंह जाति राजपूत निवासी श्यामपुरा तहसील व जिला चूरू (राज)
5. विनोद कंवर पत्नी सार्दुल सिंह पुत्र माधों सिंह जाति राजपूत निवासी श्यामपुरा तहसील व जिला चूरू (राज)
6. महेन्द्र कुमार पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी सिरसली तहसील व जिला चूरू (राज)
7. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज)

—गौण प्रतिवादीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91ए आर.टी.एक्ट

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र बुडानिया वादी
2. पैरोकार राज प्रतिवादी सं. 1 उपस्थित।

निर्णय

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88, 91ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 169 तादादी 10.0033 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 262/252 तादादी 3.0351 हैक्टेयर कुल किता 2 तादादी 13. 0384 हैक्टेयर रोही मौजा श्यामपुरा तहसील व जिला चूरू के वादी एवं गौण प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 सह खातेदार है यही वादगत कृषि भूमि है।

वादगत कृषि भूमि के पूर्व में ही सह खातेदार रहे, वादी के पिता सार्दुल सिंह का जब स्वर्गवास हुआ, तब उनके हक हिस्सा की भूमि का उनके जायज वारिसान के नाम से विरासतन नामान्तकरण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व तस्दीक किया गया, उस समय वादी का नाम राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने गलत संजय सिंह दर्ज कर दिया, जबकि वादी का सही व असली नाम किसनसिंह है।

वादी का सही सही व असली नाम किसनसिंह है, वादी को घर में परिवार में, समाज में, रिश्तेदारी में, गांव में किसन[illegible] पहचाना व पुकारा जाता है। वादी किसन सिंह के नाम से राशन कार्ड, जो सरकारी [illegible]चायत समिति, चूरू के द्वारा जारी किया हुआ है, राजस्थान सरकार [illegible] बनाया गया जन आधार कार्ड, आयकर विभाग भारत सरक[illegible] कार्ड, चुनाव आयोग भारत सरकार द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 14:31:49 IST
Reason: SelfAttested

बनाया गया, वोटर कार्ड, सरकार द्वारा बनाया गया ड्राईविंग लाईसेन्स, भारत सरकार द्वारा बनाया गया आधार कार्ड बने हुये है, ये तमाम दस्तावेजात सरकार की विभिन्न एजेन्सियों ने बनाये है, इस प्रकार से वादी का सही व असली नाम किसन सिंह है।

वादी को वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में उसके गलत नाम की पहले कोई जानकारी नहीं रही, पिछले दिनों के.सी.सी. बनाने के लिये हल्का पटवारी के पास राजस्व रिकॉर्ड की नकले लाने के लिये गया, तब हल्का पटवारी ने वादगत कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड देखकर वादी को बताया कि आपका नाम राजस्व रिकॉर्ड में किसन सिंह न होकर संजय सिंह अंकित है, इस पर वादी को उसके राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम अंकित होने से जानकारी हुई है।

वादगत कृषि भूमि से राजस्व रिकॉर्ड में वादी का गलत नाम अंकित हो जाने से वादी के.सी.सी. नहीं बना सकता है। फसल बीमा नहीं करवा सकता है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिये वादी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वादी वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अपने सही नाम की घोषणा करवाये व गलत अंकित नाम को दुरूस्त करवा कर अपना सही व असली नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवाये, इस हेतु यह वाद वादी पेश किया जा रहा है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 से व्यक्तिगत रूप से मिलकर लिखित में आवेदन पत्र पेश कर कई बार वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अपने गलत अंकित नाम को दुरूस्त कर सही नाम अंकित करने का निवेदन किया, पहले तो प्रतिवादी संख्या 01 हां हू करते रहे, मगर आखिर में दिनांक 26.05.2022 को ऐसा करने से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया, वादी वादगत कृषि भूमि का सहखातेदार काबिज, काश्तकार होने से, इस दावा में प्रतिवादी को आधार प्राप्त है तथा प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा दिनांक 26.05.2022 को की गई स्पष्ट इंकारी की तिथि से इस दावा के प्रति, वादी को कारण प्राप्त हुआ है।

वादगत कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड प्रतिवादी संख्या 01 के पॉवर व पजेशन में है। दावा वादी स्वीकार होकर डिक्री किये जाने की सूरत में मुताबिक डिक्री के सारी कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा की जानी है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 01 को पक्षकार वाद बनाया गया है, चूंकि वादी के द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध कोई नुकसान प्रद अनुतोष नहीं चाहा गया है, इसलिये प्रतिवादी संख्या 01 के धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिये बिना दावा वादी पेश किया जा रहा है।

गौण प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 वादगत कृषि भूमि के सहखातेदारान है तथा गौण प्रतिवादी संख्या 07 के यहां गौण प्रतिवादी संख्या 02 व 04 ने वादगत कृषि भूमि में अपने हिस्से की भूमि रहन रख रखी है, इसलिये कोई नुक्स न रहे, इन सबको गौण प्रतिवादीगण पक्षकार बनाया गया है।

वादगत कृषि भूमि माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित होने के कारण इस श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है जो उचित कोर्ट फीस पर अन्द मियाद पेश किया गया है। अतः वाद वादी पेश कर निवेदन है कि वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से फरमाया जावे।

(क) घोषणा इस आशय कि जावे कि [illegible] खेत खसरा नम्बर 169 तादादी 10.0033 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 262/[illegible] कुल किता 2 कुल तादादी 13.0384 हैक्टेयर रोही मोजा श्यामपुरा तहसील व जिला [illegible] (राज.) का वादी किसन सिंह पुत्र सार्दुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 14:31:49 IST
Reason: SelfAttested

सिंह जाति राजपूत निवासी श्यामपुरा तहसील व जिला चूरू 1/12 हिस्सा का खातेदार, काबिज काश्तकार है।

(ख) कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 169 तादादी 10.0033 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 262/252 तादादी 3.0351 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादादी 13.0384 हैक्टेयर रोही मोजा श्यामपुरा तहसील व जिला चूरू (राज) के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के गलत अंकित नाम संजय सिंह पुत्र सार्दुलसिंह 1/12 हिस्सा जाति राजपूत निवासी श्यामपुरा के स्थान पर किसन सिंह पुत्र सार्दुल सिंह हिस्सा 1/12 जाति राजपूत निवासी श्यामपुरा तहसील व जिला चूरू खातेदार अंकित किया जावे, इस आशय का राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें।

(ग) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी संख्या 01 से दिलवाया जावे।

(ड) अन्य अनुतोष जो हितकारी वादी हो या दौराने सुनवाई वाद हो जावे वो भी वादी को प्रतिवादी संख्या 01 से दिलवाया जावे।

दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादी संख्या 02, 04, 06 ने उपस्थित आकर अंकित किया किया कि यदि नाम दुरूस्त किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 03 व 05 की ओर से अधिवक्ता गोपीराम सिहाग ने वकालतनामा पेश किया। तथा प्रतिवादी संख्या 03 व 05 की ओर से भी अनापत्ति जाहिर की गई। प्रकरण नाम दुरूस्ती का होने से तहसीलदार चूरू से जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार चूरू की ओर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रतिवादी संख्या 07 को काफी समय दिये जाने पर भी जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर प्रतिवादी संख्या जवाब बंद किया गया तथा अधिवक्ता वादी को साक्ष्य हेतु कहा गया जिस पर अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि मूल दावा के साथ प्रस्तुत दस्तावेजातों को ही साक्ष्य माना जाकर बहस सुनी जावे जिस पर अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

बहस में अधिवक्ता वादी में दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हए हुए निवेदन किया वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेजों में अलग–अलग होने से वादी को काफी परेशानी होती है वादी का नाम दुरूस्त किया जाकर तहसीलदार चूरू को उसके अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किये जाने हेतु निर्देशित करें।

अधिवक्ता वादी की बहस सुनी जाकर पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया ।

दावा में वादी ने कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 169 तादादी 10.0033 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 262/252 तादादी 3.0351 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादादी 13.0384 हैक्टेयर रोही मोजा श्यामपुरा तहसील व जिला चूरू (राज) के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के गलत अंकित नाम संजय सिंह पुत्र सार्दुलसिंह 1/12 हिस्सा जाति राजपूत निवासी श्यामपुरा के स्थान पर किसन सिंह पुत्र सार्दुल सिंह हिस्सा 1/12 जाति राजपूत निवासी श्यामपुरा तहसील व जिला चूरू खातेदार अंकित किया जावे, इस आशय का राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने हेतु निवेद किया है। दस्तावेज जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 रोही ग्राम श्यामपुरा तहसील व जिला चूरू में वादी का नाम संजयसिंह पुत्र सार्दुलसिंह हिस्सा 1/12 जाति–राजपुत निवासी श्यामपुरा खातेदार, दर्ज है। वादी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस आदि दस्तावेजों में वादी का नाम किशनसिंह पुत्र सार्दुलसिंह अंकित है। रिपोर्ट तहसीलदार चूरू में अंकित है कि संजयसिंह व किसनसिंह दोनों एक ही व्यक्ति के [illegible] तहसीलदार के अवलोकन व बहस के तथ्यों पर

पत्रावली एवं [illegible] कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 169 तादादी 10. मनन से यह तथ्य [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 14:31:49 IST
Reason: SelfAttested

0033 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 262/252 तादादी 3.0351 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादादी 13.0384 हैक्टेयर रोही मोजा श्यामपुरा तहसील व जिला चूरू (राज) के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के का नाम गलती से संजय सिंह अंकित हो गया जबकि वादी का वास्तविक नाम किसनसिंह ही है। राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों में दर्ज नामों में भिन्नता होने से वादी के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ना प्रत्यक्ष है। वादी उक्त वादगत कृषि भूमि में संयुक्त खातेदार काश्तकार है। इसलिए उसे राजस्व रिकार्ड में अंकित नाम संजय सिंह के स्थान पर अपने दस्तावेजों में अंकित नाम किशनसिंह के अनुरूप दुरुस्त करवाने का अधिकार है। यदि किसी भी पक्षकार ने बैंक से ऋण ले रखा है तो वह बैंक के यथावत रहन रहेगा वादी बैंक हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुरुस्त किये जाने से राज्य सरकार के हितों पर भी कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना परिलक्षित नहीं होती है। इस प्रकार वादी द्वारा पेश दस्तावेजों एवं रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर दावा वादी स्वीकार करने योग्य है।

निर्णय

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 169 तादादी 10.0033 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 262/252 तादादी 3.0351 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादादी 13.0384 हैक्टेयर रोही मोजा श्यामपुरा तहसील व जिला चूरू (राज) के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम संजय सिंह पुत्र सार्दुलसिंह 1/12 हिस्सा जाति राजपूत निवासी श्यामपुरा के स्थान पर किसनसिंह उर्फ संजयसिंह पुत्र सार्दुल सिंह हिस्सा 1/12 जाति राजपूत निवासी श्यामपुरा तहसील व जिला चूरू खातेदार घोषित किया जाता है। वादी ने इसमें कोई तथ्य छिपाया है तो इसके लिए वादी स्वयं जिम्मेवार होगा। वादी के खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होने या सरकारी बकाया की स्थिति में पूर्व नाम ही मान्य होगा। यदि वादगत कृषि भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है तो तहसीलदार चूरू उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/01/2024

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 14:31:49 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

ब इजलास : श्री अनिल कुमार, आर.ए.एस.

किसन सिंह पुत्र सार्दुल सिंह जाति राजपूत निवासी श्यामपुरा तहसील व जिला चूरू (राज)
–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू (राज.)

–प्रतिवादी–

2. श्रवण सिंह पुत्र श्री माधों सिंह जाति राजपूत निवासी श्यामपुरा तहसील व जिला चूरू (राज)
3. ओमप्रकाश सिंह पुत्र श्री सार्दुल सिंह जाति राजपूत निवासी श्यामपुरा तहसील व जिला चूरू (राज)
4. कालुसिंह पुत्र माधोसिंह जाति राजपूत निवासी श्यामपुरा तहसील व जिला चूरू (राज)
5. विनोद कंवर पत्नी सार्दुल सिंह पुत्र माधों सिंह जाति राजपूत निवासी श्यामपुरा तहसील व जिला चूरू (राज)
6. महेन्द्र कुमार पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी सिरसली तहसील व जिला चूरू (राज)
7. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज)

–गौण प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नं. 153 सन् 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री सुरेन्द्र बुडानियां एडवोकेट वादी, मिनजानिब मुदईब व पैरोकार राज प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 169 तादादी 10.0033 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 262/252 तादादी 3.0351 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादादी 13.0384 हैक्टेयर रोही मोजा श्यामपुरा तहसील व जिला चूरू (राज) के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम संजय सिंह पुत्र सार्दुलसिंह 1/12 हिस्सा जाति राजपूत निवासी श्यामपुरा के स्थान पर किसन सिंह उर्फ संजयसिंह पुत्र सार्दुल सिंह हिस्सा 1/12 जाति राजपूत निवासी श्यामपुरा तहसील व जिला चूरू खातेदार घोषित किया जाता है। वादी ने इसमें कोई तथ्य छिपाया है तो इसके लिए वादी स्वयं जिम्मेवार होगा। वादी के खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होने या सरकारी बकाया की स्थिति में पूर्व नाम ही मान्य होगा। यदि वादगत कृषि भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है तो तहसीलदार चूरू उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 11 माह जनवरी सन् 2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 14:31:49 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू